RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १] बुधवार, फेब्रुवारी ११, २०१५/माघ २२, शके १९३६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

वित्त विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० जनवरी २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY FUND ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १, सन् २०१५।

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९५६ का ४६ । **और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, कहलाये ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

सन् १९५६ का ४६ की धारा २ में अस्थायी संशोधन।

२. इस अध्यादेश की प्रवर्तन अवधि के दौरान, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम प्रभावी होगा मानों कि उसकी उप-धारा (२) में " एक सौ पचास करोड़ रुपयों की राशि " शब्दों के स्थान में, " दो हजार एक सौ पचास करोड़ रुपयों की राशि " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९५६ का बम्बई ४६ ।

वक्तव्य

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम (सन् १९५६ का ४६) के अधीन स्थापित की गई तथा बनाई रखी गई राज्य की आकस्मिकता निधि की समग्र राशि डेढ़ सौ करोड़ रुपये हैं ।

२. वर्ष २०१४ में राज्य में अपर्याप्त वर्षा के कारण राज्य के कई भागों में फसलों का बडे पैमाने पर नुकसान हुआ है । राज्य सरकार ने, अनुपूरक माँगों के द्वारा राहत और पुनर्वास विभाग को २,००० करोड़ रुपयों की राशि पहले ही मुहैया की है । उस विभाग ने, उक्त प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त निधि की माँग की है । अभी भी २,००० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त निधि की तुरन्त आवश्यकता है । इसके अलावा, अत्यावश्यक तथा अनपेक्षित स्वरूप के कतिपय मदों पर का, व्यय उपगत करना होगा । इस व्यय का स्वरूप अनपेक्षित है, अतः उसके लिए आवश्यक बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है । व्यय के इन मदों को " नयी सेवाओं " में संस्थापित करना होगा और, इसलिए, उन्हें राज्य विधान मंडल के ध्यान में लाने की आवश्यकता है ।

राज्य विधान मंडल का आगामी सत्र ९ मार्च, २०१५ से प्रारंभ होनेवाला हैं । उपरोल्लिखित प्रयोजनों के लिए निधि उपलब्ध करने के लिए, आवश्यक आदेश केवल तभी जारी किए जा सकते हैं, जब इन " नयी सेवाओं " पर किए जाने वाले व्यय को अनुपूरक माँगों के जरिए, राज्य विधान मंडल के ध्यान में लाया जाता है और राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विनियोग विधेयक राज्य विधान मंडल के अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया जाता है । तथापि, इन मदों पर अपेक्षित व्यय को तत्काल उपगत करने के लिये वह आकस्मिकता निधि में से अग्रिम निकालकर ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

३. अधुना, आकस्मिकता निधि की विद्यमान समग्र राशि केवल १५० करोड़ रुपये हैं । इनमें से शेष रकम, उपरोल्लिखित मदों के लिये अन्य अनपेक्षित और तत्काल व्यय के मदों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिन्हें आकस्मिकता निधि में से पूरा करने की आवश्यकता होगी । इसलिए, आकस्मिकता निधि की विद्यमान समग्र राशि २००० करोड़ रुपयों से अस्थायी रूप से २,१५० करोड़ रुपये बढ़ाना इष्टकर समझ गया है, ताकि यथा उपर्युक्त व्ययों को पूरा किया जा सके ।

४. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधि अधिनियम (सन् १९५६ का ४६) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुम्बई,
दिनांकित २९ जनवरी २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. छत्रपति शिवाजी,
शासन के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.